



## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

### लखनऊ

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 संख्या – 4374 वर्ष 2026

रुबी उर्फ रुबी पाण्डेय एवं अन्य

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग,  
लखनऊ एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

---

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता  | : सुशील कुमार शर्मा |
| प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता | : शासकीय अधिवक्ता   |

---

न्यायालय संख्या –13

### माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रवीण कुमार गिरि

1. प्रार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम श्री विनय कुमार साही को सुना गया।
2. प्रार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत वर्तमान आवेदन दायर किया है, जिसमें वे अनुतोष मांगे गए हैं जिनका उल्लेख आवेदन के प्रार्थना खंड में किया गया है। प्रार्थना खंड नीचे वर्णित है:-

"1. अतः अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर द्वारा आपराधिक वाद संख्या 2388/2023, "उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम अरविंद कुमार व अन्य" में दिनांक 24.03.2023 को पारित उस तलबी आदेश की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संपूर्ण कार्यवाही को न्याय-हित में निरस्त करने की कृपा करें, जिसके द्वारा पुलिस द्वारा धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिनांक 02.11.2022 को प्रस्तुत आरोप-पत्र पर बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए यांत्रिक रूप से संज्ञान लेते हुए याचिकाकर्ताओं को धारा 506, 406 व 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तलब किया गया है तत्पश्चात उक्त वाद को अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, एफटीसी (जे.डी), सुल्तानपुर को स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इसे नया वाद संख्या 1181/2025 आवंटित किया गया है, जो कि वाद अपराध संख्या 0343/2022, थाना लंभुआ, जिला सुल्तानपुर से संबंधित है, यांत्रिक रूप से किया गया है।

II. यह भी प्रार्थना है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर द्वारा पारित तलबी आदेश दिनांक 24.03.2023 की कार्यवाही को स्थगित करने की कृपा करें, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर द्वारा आपराधिक वाद संख्या 2388/2023 "उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अरविंद कुमार व अन्य" में पारित किया गया है, जिसके द्वारा पुलिस द्वारा धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिनांक 02.11.2022 को प्रस्तुत आरोप-पत्र पर बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए यांत्रिक रूप से संज्ञान लेते हुए याचिकाकर्ताओं को धारा 506, 406 व 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत समन किया गया है। तत्पश्चात उक्त वाद को अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, एफटीसी (जे.डी), सुल्तानपुर को यांत्रिक रूप से स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इसे नया वाद संख्या 1181/2025 आवंटित किया गया है, जो कि वाद अपराध संख्या 0343/2022, थाना लंभुआ, जिला सुल्तानपुर से संबंधित है, वर्तमान याचिका के निस्तारण तक स्थगित रखा जाए।"

3. प्रार्थियों के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में निहित आरोपों के आधार पर प्रार्थियों के विरुद्ध वाद अपराध संख्या 0343/2022, धारा 506, 406 व 420 भारतीय दंड संहिता,

**अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

थाना लंभुआ, जिला सुल्तानपुर के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अन्वेषण पूर्ण होने पर आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके उपरान्त संबंधित न्यायालय ने धारा 506 के साथ-साथ धारा 406 व 420 भारतीय दंड संहिता के अपराधों का संज्ञान लिया है।

4. प्रार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दिल्ली रेस क्लब (194) लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2024) 10 एससीसी 690** में प्रतिपादित विधि के आलोक में धारा 420 और 406 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही एक साथ नहीं चल सकती है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने **दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त)** के निर्णय के पैरा संख्या 30, 41, 42 और 43 पर भरोसा किया है, जिन्हें संदर्भ हेतु नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"30. आपराधिक न्यासभंग और छल (चीटिंग) के बीच अंतर है। छल के लिए, मिथ्या या भ्रामक अभ्यावेदन करते समय, अर्थात् शुरुआत से ही आपराधिक आशय का होना आवश्यक है। आपराधिक न्यासभंग में, केवल प्रत्यायोजन का प्रमाण पर्याप्त है। इस प्रकार, आपराधिक न्यासभंग के मामले में, अपराधी को संपत्ति विधिपूर्वक सौंपी जाती है, और वह बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है। जबकि, छल के मामले में, अपराधी किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसे कोई संपत्ति देने के लिए कपटपूर्वक या बेईमानी से प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में, दोनों अपराध एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते।

41. इस मामले को समाप्त करने से पहले, हम वर्तमान जैसे मामलों में निचली अदालतों के लापरवाह दृष्टिकोण के संबंध में कुछ कहना चाहेंगे। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत से विरासत में मिली भारत गणराज्य की आधिकारिक आपराधिक संहिता थी। आईपीसी ब्रिटिश शासन के दौरान 1862 में उपमहाद्वीप में लागू हुई थी। आईपीसी लगभग 162 वर्षों तक लागू रही, जब तक कि इसे दिसंबर 2023 में निरस्त कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया गया, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुई। यह इंगित करना वास्तव में बहुत दुखद है कि इतने वर्षों के बाद भी,

**अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय आपराधिक न्यासभंग और छल के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझने में सक्षम नहीं हो पाई हैं।

42. निजी परिवाद के मामले में, विधि मजिस्ट्रेट पर यह कर्तव्य अधिरोपित करती है कि वह परिवाद की अंतर्वस्तु की सूक्ष्मता से जांच करे ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या परिवाद में किए गए अभिकथनों से छल या आपराधिक न्यासभंग का अपराध गठित होता है। मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने विवेक का सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए कि क्या कथित आरोप वास्तव में इन विशिष्ट अपराधों को गठित करते हैं। इसके विपरीत, जब मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट से उत्पन्न होता है, तो यह दायित्व पुलिस का होता है कि वह गहनता से यह सुनिश्चित करे कि क्या सूचनादाता द्वारा लगाए गए आरोप वास्तव में छल या आपराधिक न्यासभंग की श्रेणी में आते हैं। दुर्भाग्यवश, पुलिस अधिकारियों के लिए यह एक सामान्य चलन बन गया है कि वे बिना किसी उचित विवेक के प्रयोग के, केवल बेईमानी या धोखाधड़ी के किसी आरोप पर दोनों अपराधों, अर्थात् आपराधिक न्यासभंग और छल के लिए नियमित और यांत्रिक रूप से प्राथमिकी दर्ज कर लेते हैं।

43. अब समय आ गया है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को विधि का उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे छल और आपराधिक न्यासभंग के अपराध के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र और सुस्पष्ट हैं। तथ्यों के एक ही समूह में दोनों अपराध एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। वे एक-दूसरे के विपरीत हैं। भारतीय दंड संहिता (अब बीएनएस, 2023) के ये दो प्रावधान ऐसे जुड़वां नहीं हैं कि वे एक-दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते।

5. प्रार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि वर्तमान आपराधिक मामला दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) के निर्णय द्वारा पूर्णतः आच्छादित है और यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत कार्यवाही को एक साथ जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग

**अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होगा। अतः, यह प्रार्थना की जाती है कि आरोप-पत्र के साथ-साथ आक्षेपित संज्ञान-सह-तलबी आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जाए।

6. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने भी यह प्रस्तुत किया कि जिन मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 या 420 के तहत संज्ञान लिया गया है, वहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) में प्रतिपादित विधि लागू होती है। अतः, यह निवेदन है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) में प्रतिपादित विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाए।

7. दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रतिवाद तर्कों पर विचार करने और दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस मत का है कि धारा 406 और 420 भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक कार्यवाही को एक साथ जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

8. तदनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर द्वारा आपराधिक वाद संख्या 2388/2023, "राज्य बनाम अरविंद कुमार व अन्य" में धारा 506, 406 और 420 भारतीय दंड संहिता के तहत पारित 24.03.2023 का संज्ञान-सह-तलबी आदेश इस निर्देश के साथ अपास्त किया जाता है कि संबंधित न्यायालय इस आदेश की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) के निर्णय के आलोक में नया संज्ञान आदेश पारित करे।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति श्री प्रवीण कुमार गिरि)

**12 जून, 2026**

के.तिवारी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।